

Date: September 01, 2026

To,
The Manager,
Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, C-1 Block 'G',
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai- 400051

Symbol: MOBILISE

Sub: Newspaper Advertisement regarding 3rd Annual General Meeting and E-voting information

Dear Sir/Madam,

Pursuant to applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, please find enclosed herewith the copies of the Newspaper advertisements published on September 01, 2026, intimating that the 3rd Annual General Meeting of the Company will be held on Friday, September 25, 2026 at 01:00 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM"), in the following newspapers:

1. Financial Express (English language); and
2. Jansatta (Hindi language).

The aforesaid newspaper advertisements are also available on the website of the Company www.mobilise.co.in

You are requested to take the above information on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **Mobilise App Lab Limited**
(Formerly known as Mobilise App Lab Private Limited)

Sakshi Chandna
Company Secretary & Compliance Officer
M. No. A69450
Place: Faridabad, Haryana

Enclosure: As above

MOBILISE APP LAB LIMITED

(Formerly Known as Mobilise App Lab Private Limited)

CIN: L62012HR2023PLC113349 | GSTIN No. 06AARCM0780D1ZG

Reg. Address: 62/B, HSIIDC, Sector 31, Faridabad City, Faridabad, Haryana, India - 121002

Corp. Office: Plot No. 57, Sector 27C, Faridabad, Haryana - 121003

Website: www.mobilise.co.in | Tel: +91-129-4322154 | Email: info@mobilise.co.in

डीसीएम नोवेल लिमिटेड

संपीकृत कार्यालय : 4/07, विक्रांत चौरा, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली - 110 008
दूरध्यान : 011-45013348 | ई-मेल: info@dcmmvl.com | वेबसाइट: www.dcmmvl.com

10वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और ई-वोटिंग जानकारी

सूचना की जाती है कि डीसीएम नोवेल लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 10वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') बुधवार, 25 सितंबर, 2026 को सुबह 11:00 बजे (आईएसटी) पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम ('ओवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें सदस्यों की किसी सामान्य स्थल पर भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी। यह बैठक कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम'), इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, सेबी (सूचीबद्धता दिशिक्ष एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 ('सेबी सूचीबद्धता विनियमों') और एमसीए तथा सेबी द्वारा जारी लागू परिपत्रों के अनुपालन में एजीएम की सूचना में निर्धारित कार्यों को संपन्न करने के लिए आयोजित की जा रही है। वीसी/ओवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोस के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा।

10वीं एजीएम की सूचना के साथ वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट 31 अगस्त, 2026 को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन सदस्यों को भेजी गई है, जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों(वी)/आरटीए के साथ पंजीकृत हैं। यह सूचना कंपनी की वेबसाइट www.dcmmvl.com, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 44 के अनुपालन में, सदस्यों को सूचना दी जाती है कि दूरस्थ ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने 10वीं एजीएम में मतदान के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने हेतु बुधवार, 18 सितंबर, 2026 को 'कट-ऑफ तिथि' निर्धारित की है। दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि मंगलवार, 22 सितंबर, 2026 को सुबह 08:00 बजे (आईएसटी) से शुरू होकर गुरुवार, 24 सितंबर, 2026 को साय 05:00 बजे (आईएसटी) तक रहेगी। उपरोक्त तिथि और समय के बाद दूरस्थ ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। जिन सदस्यों ने दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वे एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन पुनः मतदान नहीं कर सकते। जो सदस्य एजीएम में भाग लेते हैं वे दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान नहीं किया है, वे एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकते हैं।

कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी के शेयर अधिग्रहित करता है और सदस्य बन जाता है तथा कट-ऑफ तिथि यांनी बुधवार, 18 सितंबर, 2026 तक शेयर धारण करता है, वह एजीएम की सूचना में दी गई प्रक्रिया का पालन करके evoting@nsdl.com पर एनएसडीएल से संपर्क करके उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है और वहां निर्दिष्ट तरीके से अपना मत जाद सकता है। दूरस्थ ई-वोटिंग/एजीएम के दौरान ई-वोटिंग, वीसी/ओवीएम के माध्यम से एजीएम की सूचना और ई-मेल पते के पंजीकरण/अद्यतन की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है। एक बार किसी प्रस्ताव पर मत डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने या पुनः मतदान करने की अनुमति नहीं होगी।

सदस्यों के मताधिकार कट-ऑफ तिथि पर कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे।

एजीएम में पारित प्रस्तावों के परिणाम एजीएम की समाप्ति से दो कार्य दिवसों के भीतर घोषित किए जाएंगे।

किसी भी प्रश्न के लिए सदस्य निम्नलिखित से संपर्क कर सकते हैं:

श्री शिखर कपूर

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

फोन: 407, विक्रांत टावर, 04, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली 110008

ईमेल: info@dcmmvl.com | फोन नंबर: +919650804748

डीसीएम नोवेल लिमिटेड के लिए

हस्ता /—

श्री शिखर कपूर

दिनांक: सितंबर 01, 2026

स्थान: नई दिल्ली

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

सदस्यता संख्या: E88450

mobilise मोबिलाइज ऐप लैब लिमिटेड

(पूर्व में मोबिलाइज ऐप लैब प्रा. लि.)

एक: L62012HR2023PLC113349

रजिस्टर्ड ऑफिस: 82/बी, HSIIDC, सेक्टर 31, फरीदाबाद, हरियाणा, इंडिया - 121002,

कोर्पोरेट ऑफिस: प्लॉट नंबर 57, सेक्टर 27सी, फरीदाबाद, हरियाणा - 121003

टेलीफोन: +91-129-4322154, वेबसाइट: www.mobillase.co.in, ईमेल: cs@mobillase.co.in

तीसरी वार्षिक आम बैठक एवं ई-वोटिंग संबंधी सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मोबिलाइज ऐप लैब लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की तीसरी वार्षिक आम बैठक ('वार्षिक आम बैठक') बुधवार, 25 सितंबर, 2026 को दोपहर 01:00 बजे (भारतीय मानक समय) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम ('ओवीएम') के माध्यम से, किसी सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित की जाएगी, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के लागू प्राधान्यों, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, सेबी (सूचीबद्धता दिशिक्ष एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 ('सेबी लिस्टिंग विनियम') तथा एमसीए और सेबी द्वारा जारी लागू परिपत्रों के अनुपालन में, वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्धारित कार्यों का निष्पादन किया जाएगा। वीसी/ओवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत गणपूर्ति के प्रयोजन हेतु उपस्थित सदस्यों के रूप में गिना जाएगा। तीसरी वार्षिक आम बैठक की सूचना, वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ, 31 अगस्त, 2026 को उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी गई है, जिनके ई-मेल पते कंपनी/अनुपालन प्रतिभागियों(वी)/आरटीए पर शेयर अधिग्रहण अधिकारों के साथ पंजीकृत हैं। उक्त सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.mobillase.co.in नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 को कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 तथा सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 44 के साथ पठित करने पर, कंपनी एनएसडीएल के माध्यम से दूरस्थ ई-वोटिंग तथा वार्षिक आम बैठक के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। उक्त सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.mobillase.co.in नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

कंपनी के शेयर प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति तथा जो आम बैठक की सूचना भेजे जाने के पश्चात सदस्य बनता है और बुधवार, 18 सितंबर, 2026 को कट-ऑफ तिथि के अनुसार शेयर धारण करता है, आम बैठक की सूचना में दी गई प्रक्रिया का पालन करके उपयोगकर्ता पद्यान एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है अथवा evoting@nsdl.com पर एनएसडीएल से संपर्क करके उसमें निर्दिष्ट तरीके से अपना मत दे सकता है। दूरस्थ ई-वोटिंग/आम बैठक के दौरान ई-वोटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम से आम बैठक में भागीदारी तथा ई-मेल पते के पंजीकरण/अद्यतन/अधिकारों की विस्तृत प्रक्रिया आम बैठक की सूचना में दी गई है। एक बार किसी संकल्प पर मत दे दिए जाने के पश्चात, सदस्य को बाद में उसमें परिवर्तन करने अथवा पुनः मत देने की अनुमति नहीं होगी।

सदस्यों के मताधिकार कंपनी की प्रस्त इक्विटी शेयर पूंजी में कट-ऑफ तिथि के अनुसार उनके शेयरों के अनुपात में होंगे।

आम बैठक में पारित संकल्पों का परिणाम आम बैठक की समाप्ति से दो कार्य दिवसों के भीतर घोषित किया जाएगा।

किसी भी प्रश्न के लिए सदस्य निम्नलिखित से संपर्क कर सकते हैं:

श्री सानी चान्दा

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

फोन: 82/बी, एनएसएआईआईडीसी, सेक्टर 31, फरीदाबाद, हरियाणा, भारत - 121002

ई-मेल: info@mobillase.co.in

फोन नंबर: +91-12998685138

कृते मोबिलाइज ऐप लैब लिमिटेड

एसडी /—

सानी चान्दा

दिनांक: 01.09.2026

स्थान: नई दिल्ली

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

सदस्यता संख्या: E88450

Criminal Courts, Ludhiana

In The Court Of Ms. Prabhat Jot

Sandhu Judicial Magistrate Ist Class

Ludhiana Next Date: 07-09-2026

publication notice for proclamation under section

82 Cr.PC Complain R/w sec- 138 of N.I Act

M/S RCM, Logistics

M/S Habibi carrying corporation

CNR NO: PBLD03-002271-2025

Notice To: 1. m/s new habibi caring

corporation, VPO asadpur, teh bali, PS

manther, dist moradabad through its

prop. waseem 2. waseem prop. m/s new

habibi caring corporation VPO asadpur

the bali PS manther, dist moradabad

Whereas it has been proved to the

satisfaction of the court that you, the

accused above named cannot be served

in the ordinary way of service. Hence, this

proclamation under section 82 Cr.PC is

herby issued against you with a direction

that you should appear personally before

the court on 07-09-2026 at 10:00 a.m. or

within 30 days from the date of publication

of this proclamation. Take notice that, in

default of your part to appear as directed

above, the above said case will be heard

and determined as per law, in your

absence. given under my hand and the

seal of the court, this for details login to:

[https://highcourtcdh.gov.in/7trs-district-](https://highcourtcdh.gov.in/7trs-district-notice&district=ludhiana)

notice&district=ludhiana JMIC Ludhiana

Criminal Court, Ludhiana

In The Court Of Ms. Armaan Sandhu

Judicial Magistrate- 1st class Ludhiana

CNR NO: PBLD03-047565-2024

Peshi: 03-09-2026

publication notice for proclamation under section

82 Cr.PC Complain r/w sec- 138 of N.I Act

M/S Bajaj Finance Ltd. Vs.

Sharafat Ali

Notice To: Sharafat ali : s/o

khushee mohammad house no 0

hokhkhadi road mansoor colony

aksha masjid, saharanpur uttar

pradesh 247001

Whereas it has been proved to the

satisfaction of the court that you, the

accused above named cannot be served

in the ordinary way of service. Hence, this

proclamation under section 82 Cr.PC is

herby issued against you with a direction

that you should appear personally before

the court on 03-09-2026 at 10:00 a.m. or

within 30 days from the date of publication

of this proclamation. Take notice that, in

default of your part to appear as directed

above, the above said case will be heard

and determined as per law, in your

absence. given under my hand and the

seal of the court, this for details login to:

[https://highcourtcdh.gov.in/7trs-district-](https://highcourtcdh.gov.in/7trs-district-notice&district=ludhiana)

notice&district=ludhiana JMIC Ludhiana

वसूली अधिकारी - I/II का कार्यालय

ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली (डीआरटी 1)

चौथी वार्षिक, जीवन तारा भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

मांग सूचना

ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 तथा आवंकर

अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 2 के अंतर्गत सूचना।

RC/122/2020 06-07-2026

भारतीय स्टेट बैंक (पूर्ववर्ती स्टेट बैंक ऑफ़ ब्रावणकर)

बनारस मेसर्स पेटिबिकल हर्बल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य

सेवा में।

(CD 2) सुरेश कुमार मिश्रा पुत्र प्रबोध मिश्रा,

(CD 3) ज्योति मिश्रा पुत्री सुरेश कुमार मिश्रा,

पत्नी (CD 2) और (CD 3) निवासी: टी-29 एम, तृतीय तल, 20, जेनता पार्क, बलजीत

नगर, नई दिल्ली-110018; अन्य पता: प्लेट नंबर 602, छठी मंजिल, पदमा टॉवर-I, I,

निकट राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन, 22, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली

यह सूचित किया जाता है कि पीडीआर अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी 1)

द्वारा OA/377/2017 में पारित आदेशों के अनुसार जारी वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार, आपके विरुद्ध

(संबंधित रूप से और अलग-अलग/पूरी रूप से/सीमित रूप से) रुपये 4833131.00 (रु. अड़ताल

लाख बीस हजार एक सौ इक्कीस हजार) की राशि, साथ ही 02/12/2016 से वसूली होने तक

15.20 प्रतिशत वार्षिक कंपाउंड व्याज (pendentelites व्याज और मध्यम के अनुसार) और 51,000

रुपये (पेंडलिंग व्याज/हजार रुपये) का खर्च बकाया हो गया है।

आपको इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है कि आप इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर ऊपर बताई

गई राशि का भुगतान करके ऐसा न करने पर, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम,

1993 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार वसूली की जाएगी।

3. आपको इसके द्वारा अद्वितीय दिया जाता है कि आप अपनी सूचनाओं की तारीख को या उससे पहले, एक

समर्थन-पत्र (affidavit) पर अपनी संपत्तियों का विवरण घोषित करें।

4. आपको इसके द्वारा अद्वितीय दिया जाता है कि आप अपने कार्यवाही के लिए, दिनांक 03/09/2026

को सुबह 10:30 बजे ओपेराहाउस के समक्ष उपस्थित हों।

5. ऊपर बताई गई राशि के अतिरिक्त, आपको निम्नलिखित का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी माना

जाएगा:

(a) यह व्याज, जो प्रमाण-पत्र / निष्पादन कार्यवाही के इस नोटिस के ठीक बाद शुरू होने वाली अवधि के

लिए देय हो।

(b) इस नोटिस और वारंटों की तामील, अन्य प्रक्रियाओं तथा बकाया राशि की वसूली के लिए की गई अन्य

सभी कार्रवाहियों के संबंध में हुए सभी कोर्ट, शुल्क और खर्च।

मेरे हस्ताक्षर और अधिकरण की मुहर के तहत, आज दिनांक: 06/07/2026 को जारी किया गया।

रविंद्र कुमार मोहन, वसूली अधिकारी-I

ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली (DRT 1)